संख्याः-2/2186 /ई-1/तेरह-2022-1195/2022

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 31 अगस्त, 2022

विषयः- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1957 के अधीन लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि लोक सेवकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार तथा अन्य कदाचार की शिकायतों की जांच अथवा अनुसंधान करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जाती है। सतर्कता जांच से संबंधी प्रकरणों को प्रभावी बनाये जाने, उसमें अन्तर्निहित समय-सीमा निर्धारित किये जाने, सतर्कता जाँच के परिणामस्वरूप अपचारी लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही को गतिशील एवं प्रभावी बनाये जाने के उददेश्य से तथा सतर्कता जाँचोंपरान्त प्राप्त जाँच आख्या/अन्वेषण आख्या के फलस्वरूप अभियोजन की विधिक पूर्व स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा क्रमशः शासनादेश संख्या-3249/उन्तालीस (4)/87-46(1)/79, दिनांक 27 जून, 1987, अ.शा.प.संख्या-1323/उन्तालिस(2)-12(5)/74, दिनांक 18 मई, 1991, अ.शा.प.संख्या-2020/39(2)-12(5)-74, दिनांक 12 सितम्बर, 1995 एवं शासनादेश संख्या-240/39-3-14-1(399)/08टी.सी., दिनांक 06 फरवरी, 2014 निर्गत किया गया है।

2. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेशों में विहित व्यवस्थाओं का सम्यक ज्ञान न होने के कारण अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में सतर्कता जाँच से संबंधित प्रकरणों में उक्त शासनादेश में वर्णित/विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हो रहा है। यह भी देखने में आ रहा है कि सतर्कता जाँच के मामलें में की गयी संस्तुति के अनुसार विभागीय कार्यवाही के मामलों में कार्यालय स्तर पर अत्यधिक विलम्ब होता है, जिससे अपचारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने में अनावश्यक विलम्ब एवं श्रम और समय का अपव्यय होता है। अभियोजन जैसे संवेदनशील एवं गम्भीर मामलों में इस प्रकार की उदासीनता जहां एक ओर दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने में अत्यधिक विलम्ब होने से सतर्कता जाँच का उद्देश्य ही विफल होने लगता है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण/कठोर अंकुश लगाने की शासन की नीति भी कुप्रभावित होती है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवकों के विरूद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा डाले गये ट्रेप अथवा सतर्कता जाँचों में लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति देने के संबंध में निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) यदि व्यक्ति राज्य सरकार की अनुमति से अथवा उनके द्वारा ही पद्च्युत किया जा सकता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए राज्य सरकार का प्रशासकीय अनुभाग अभियोजन की स्वीकृति देगा।

(2) अभियोजन की पूर्व स्वीकृति देने के लिए ऐसा अधिकारी ही सक्षम होगा जिसके किसी अधिनियम/नियमावली में निहित शर्तों के अनुसार सेवा के समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो।

(3) अभियोजन की स्वीकृति देने के लिये वह व्यक्ति भी सक्षम प्राधिकारी होगा जिसे सेवा समाप्ति का अधिकार प्रतिनिधायन द्वारा प्राप्त हो।

यहाँ स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त बिन्दु-2 पर अंकित सक्षम प्राधिकारी की शक्ति वह अधिकारी स्वयं प्रयोग करेगा, उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसकी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सेवा समाप्ति का अधिकार किसी को प्रतिनिधायन प्राप्त हुए हों तो अभियोजन के लिए पूर्वानुमति प्रतिनिधायी द्वारा दी जायेगी और यदि वह अपर्याप्त कारणों से नहीं दी गयी है अथवा उस संबंध में वह कोई विचार नहीं करता है तो प्रतिनिधायक द्वारा अभियोजन की पूर्व स्वीकृति दी जा सकती है।

4. विभागाध्यक्ष कार्यालयों के स्तर पर अभियोजन की पूर्व स्वीकृति निर्गत करते समय विवेचना के उपरान्त उभर कर आये आरोपों की पुष्टि हेतु प्रकरण से संबंधित विवेचना अधिकारी को बुलाकर समस्त तथ्यों की पुष्टि कर ली जानी चाहिए तथा यह पाया जाता है कि पूर्व स्वीकृति का पुष्ट आधार है तो उसके उपरान्त ही पूर्व स्वीकृति का आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सतर्कता विभाग द्वारा निर्गत उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन एवं अभियोजन हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति देने के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: -2/2186 (1) ई-1/तेरह-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।